



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53752

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9105 वर्ष 2026

साहिल और एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय,

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मौर्य को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदकगण साहिल और भोला उर्फ लवकुश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 731 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 191(2), 115(2), 125, 352, 109(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन इगलास, जिला अलीगढ़ में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर किया गया है।

3. संक्षेप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदकगण सहित आठ अभियुक्तों ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर घायल व्यक्तियों को चोट पहुंचाई और सूचनाकर्ता से 85,000 रुपये लूट लिए।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदकों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक संख्या 1 और 2 क्रमशः 30.01.2026 और 05.02.2026 से जेल में दिन काट

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रहे हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि आवेदकों का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में आठ अन्य अभियुक्तों के साथ दर्ज है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट या घायल व्यक्तियों के अभिकथन में घायल व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदकों की कोई अलग और स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घायल व्यक्तियों, सोनवती, राजकुमार और चरण ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने अभिकथनों में उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाने के संबंध में आवेदकों की किसी भी स्पष्ट भूमिका का उल्लेख नहीं किया है। यह तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार, घायल राजकुमार को लगी चोट को छोड़कर, सभी घायल व्यक्तियों को लगी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। घायल राजकुमार के मस्तिष्क की एनसीसीटी जांच में दोनों ललाट साइनस में विखंडित और विस्थापित अस्थिभंग पाया गया है, जिसमें अग्र और पश्च दोनों दीवारें प्रभावित हैं और मध्य रेखा में ललाट अस्थि के ऊपरी भाग तक न्यूनतम विस्तार है। लेकिन अभियुक्तों में से किसने यह चोट पहुंचाई है, यह स्पष्ट नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त राजेंद्र कुमार और सतीश कुमार, जिनकी भूमिका समान है, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2.2.2026 और 09.02.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2312 वर्ष 2026 और 4470 वर्ष 2026 में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और इस मामले में समानता की मांग की गई है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों का अपना कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। निवेदन है कि परीक्षण में काफी समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उनके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदकों की निर्दोषता का निर्णय परीक्षण से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वे किसी अनुग्रह के पात्र नहीं हैं। यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के साथ-साथ इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि आवेदकों का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में आठ अन्य अभियुक्तों के साथ दर्ज है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट या घायल व्यक्तियों के अभिकथनों में घायल व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदकों की कोई अलग और विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है, घायल व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदकों और प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं, सिवाय चोट संख्या 1 से 4 के, जो घायल राजकुमार को लगी हैं, अधिकांश चोटें साधारण प्रकृति की हैं, सह-अभियुक्त राजेंद्र कुमार और सतीश कुमार, जिनकी भूमिका समान है, को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की जानकारी के अनुसार, इस मामले में 15.02.2026 को आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभियोजन पक्ष के साक्षियों को डराने/दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है और परीक्षण के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम निदेशालय प्रवर्तन 2024 (एससी) लॉ सूट 677** मामले में प्रस्तर संख्या 53, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस मामले में, उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदकों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उनके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदकगण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही साक्षियों को धमकाएंगे।
- (ii) आवेदकों को इस आशय का एक वचनबंध देना होगा कि जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों तो वे साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेंगे।
- (iii) आवेदकों को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं उपस्थित रहना होगा या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित अनुसार उपस्थित रहना होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदकगण निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे: (i) परीक्षण की शुरुआत करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) अभियुक्तों का व्यक्तिगत अभिकथन दर्ज करने के लिए ताकि उनके विरुद्ध साक्ष्यों में सामने आने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।

(v) यदि आवेदकगण परीक्षण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के क्रम में, परीक्षण न्यायालय उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ाई से कार्यवाही शुरू करेगी।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का यह एक आधार होगा।

8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदकों और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

17 मार्च, 2026

आशा

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।